न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 1/2018 दायरा दिनांक : 01.01.2018

उनवान

1– जयराम उम्र 64 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल, जाति राव, निवासी कुम्भराज, तहसील कुम्भराज, जिला गुना (मध्यप्रदेश)

2– ओम प्रकाश उम्र 37 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल, जाति राव, निवासी उम्मेदगंज, तहसील कुम्भराज, जिला गुना (मध्यप्रदेश)

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :31.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 106/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण के पिता और दादा के स्वामित्व व कब्जे की आराजी ग्राम हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां में पुराना खसरा नम्बर 116 रकबा 10 बीघा स्थित है जिसका सैटलमेंट के बाद नया खसरा नम्बर 218 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.65 हेक्टर बना है । पूर्व खातेदार हजारी लाल का देहान्त हो चुका है जिसके दो लडके भैरू लाल और जयराम हैं । भैरू लाल का स्वर्गवास हो चुका है । भैरू लाल का एक मात्र वारिस ओम प्रकाश है । खसरा नम्बर 234 का बेचान हो चुका है, शेष रकबा खसरा नम्बर 218 रकबा 0.62 हेक्टर बचा है ।जो हजारी लाल के नाम दर्ज है । जिसमें हजारी लाल के पिता का नाम हीरा लाल राव के स्थान पर भैरू लाल दर्ज है । वादीगण इस आराजी को अपने नाम दर्ज कराने, दादा जी का नाम व जाति सही कराने के अधिकारी हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाये और हजारी लाल के पिता का नाम भैरू लाल के स्थान पर हीरा लाल राव दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 06.07.2017 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में साक्ष्य के अभाव में दावा खारिज किया है । अपीलांट को दिनांक 20. 09.2017 की तारीख दी गई थी । दिनांक 06.07.2017 की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई जबकि दिनांक 20.09.2017 को अपीलांट न्यायालय में आये तो उसे पता लगा कि इस दिनांक को फाईल नहीं

लगायी गई है इसके उपरान्त दिनांक 26.10.2017 को यह जानकारी हुई कि दिनांक 06.07.2017 को फैसला हो चुका है । अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सलंग्न किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी । लोक अदालत की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई थी । सी पी सी की पालना किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । वादी के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य पेश नहीं की गई थी । साक्ष्य के अभाव में दावा खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और दिनांक 06.07.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुआ है और न ही पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन निर्णय पारित कर वादी का दावा खारिज किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा